

गौर हरियाणा तथा अब झारखंड :
ों में अराजकता और कानूनहीनता
ा प्रधानमंत्री जवाब देंगे।
राहुल गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष



'स्कूल चाहरदीवारी वाली जगह बन गए हैं जहां बच्चे केवल शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन विद्यालय ऐसे मुद्दों को सामान्य बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं जो पिछले कुछ सालों में समाज में बातचीत के लिहाज से वर्जित से हो गए हैं।' — मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री, दिल्ली

नई दिल्ली | मंगलवार • 23 मई • 2017

सहारा | www.rashtriyasahara.com

(a)	Military Farm Meerut	Hiring of Service of tractor with driver and implements excluding trolleys for cultivation operations	01 Mar 2017 To 31 Aug 2017	100	2017_IHQ_203480_1	E-Procurement mode as per the critical dates mentioned in RFP and NIT
-----	----------------------	---	----------------------------	-----	-------------------	---

1. In case contacts could not be concluded on 1st call due to any reason, retendering will be carried out on **12 June 2017 (2nd call)** & subsequently on **16 Jun 2017 (3rd call)**. Detailed instructions to the bidders and tender Enquiry documents are available at www.eprocure.gov.in any change/modification in Tender Enquiry will be intimated through above website.

नई दिल्ली । दिल्ली विश्वविद्यालय में दो साल से ट्रांसजेंडर सेल नहीं बन पाया है। यह सेल ट्रांसजेंडर छात्रों की सुविधाओं के लिए बना है। यही हाल जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुं यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, इमू, लर यूनिवर्सिटी, आम्बेडकर यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी समेत देशभर तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी व डीम्ड यूनिवर्सिटीज व है। इन विश्वविद्यालयों को यूजीसी के चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट के दो पहले के एक फैसले का हवाला देते हुए ट्रांसजेंडरों को सुविधाएं दे बात कही थी। उन्हें भी अनुसूचित जाति, जन-जाति, ओबीसी समुदाय

दो साल से धु
को सुविधाएं

ORIENT BELL LIMITED

(CIN: L14101UP1977PLC021546)

Regd. Off. 8, Industrial Area, Sikandrabad – 203205, UP

Corporate off: Iris House, 16 Business Centre, Nangal Raya, New Delhi 110046

Tel.: +91-11-47119100, Fax: +91-11-28521273

Email: customercare@orientbell.com, Website: www.oblcorp.com

Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended March 31, 2017

Sl. No.	Particulars	(In ₹ Lakhs)		
		3 Months ended 31.03.2017 (Audited)	12 Months ended 31.03.2017 (Audited)	Corresponding 3 Months ended 31.03.2016 (Audited)
1	Total income from operations (Net of Excise Duty)	20,680	65,340	20,988
2	Net Profit / (Loss) from ordinary Activities after tax (before Extraordinary items)	410	1,104	335
3	Net Profit / (Loss) from ordinary Activities after tax (after Extraordinary items)	410	1,104	335
4	Equity Share Capital (Face Value ₹ 10/- per share)	1,419	1,419	1,400
5	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year.	12,414	12,414	11,261
6	Earnings Per Share (of ₹ 10/-each) (before Extraordinary items)-			
	1. Basic :	2.91	7.84	2.30
	2. Diluted:	2.91	7.84	2.30
7	Earnings Per Share (of ₹ 10/-each) (after Extraordinary items)-			
	1. Basic :	2.91	7.84	2.30
	2. Diluted:	2.91	7.84	2.30

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Company's Website at www.oblcorp.com and also be accessed on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

for Orient Bell Limited
Sd/-
Madhur Daga
Managing Director

Place : New Delhi
Date : May 22, 2017

टेबल फैम से व

पूर्वी दिल्ली। भजनपुरा थानांतर्गत नार्थ घ पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों पुलिस के मुताबिक मृतक की शिनाख्त बिद में रहता था। परिवार में उसकी पत्नी सीमा सोने गया था। इस दौरान उसने स्विच लगा करंट की चपेट में आकर वह वहीं गिर गया पुलिस को दी और बिट्टू को नजदीकी अ ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री कलिरं मामले में याचिका

नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मु सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों पर प्राथ वकीलों के एक समूह की याचिका खारि कुल 2.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा बैच ने कहा कि वकीलों के समूह 'नेशनल ट्रांसपेरेंसी एंड रिफॉर्म', कुछ अन्य वकीलों याचिका कथित सुसाइड नोट की सत्यता व ने प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लाख 75 हजार रुपए हुआ। अदालत ने व आरोप लगाने वाली व्यस्त संस्थाएं याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अपराधिक की। सीबीआई ने यह मांग की थी। अदालत कहा कि यह 'केवल सुनी सुनाई बात' पर